फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

बाबूलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अ0धा0 136एल.आर.ए मु0नं0– 31/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम पुजारी ढाणी गढोरा का स्वामी निवासी है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 7 रकबा 0.9300 है0 वाके रामा गढोरा तह0 बहरावण्डा में स्थित है। प्रार्थी को उक्त भूमि जरिए विरासतन नामान्तकरण से प्राप्त हुई है, प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल स्वामी पुत्र बदरीदास स्वामी है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सैटलमेण्ट कर्मियों द्वारा बतु पुत्र बदरीदास हिस्सा 1/8 दर्ज कर दिया, जिसे सही किया जावे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया, जवाब स्टेट का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन तथा रिपोर्ट तहसीलदार बहरावण्डा से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर मंदिर श्री सीताराम जी का नोट अंकित है इसलिए उक्त भूमि मंदिर श्री सीताराम जी के हक अधिकार की भूमि होना जाहिर होता है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **उपखण्ड अधिकारी** **सिकराय जिला दौसा**	